

## कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

कमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/17-18/ 10203

दिनांक :- 25/8/17

विमित्त :-

अधिकाधी अभियंता सा.नि.वि.

स्रण्ड शाहाबाद।

विषय :- सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में कमियो की पूर्ति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा मामली लक्ष्मीपुरा से पटपडी सडक निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/7127/2014 कुल 01.14 है० के लिए जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में पाई गई कमियो की पूर्ति करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः पूर्ति कर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें।

### A- Compliance of EDS Datee 14-07-2017 is awaited ;

1. बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण। वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जारी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के बिन्दु संख्या के में संलग्न कर दिये गये है। किन्तु मूल प्रति प्रस्तुत नही की गई है।
2. बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में भूसंदर्भित मानचित्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसमें सभी कानर्स के जी.पी.एस. कोर्डिनेटस नही दिये गये है।

### B-Additional information as required by MOEF :

1. प्रस्ताव में जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षित समेकित भूमि (103.4 है०) का डिजिटल मानचित्र प्रस्तुत किया गया है एवं जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आरक्षित किये जाने का आदेश संलग्न किया गया है किन्तु इससे यह प्रतीत नही होत है कि उक्त प्रस्ताव की भूमि इसमें सम्मिलित है अथवा नही साथ ही उक्त भूमि किस जगह दी गई है।
2. बिन्दु संख्या 3 में एन.पी.वी. की राशि की गणना संलग्न नही की गई है।
3. उक्त बिन्दु की सूचना हार्ड प्रति में संलग्न नही की गई है। जो प्रस्तावित है।

उप वन संरक्षक  
बारा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

F14 ( ) 2016/FCA/PCCF/CCF-IV Jaipur Dated 9.8.2017

सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग राजस्थान के अधिशासी अभियंता खण्ड शाहबाद बांरा द्वारा Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi में जिला बांरा एवं उप वन संरक्षक बांरा की कुल 01.14 हे० वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. **FP/RJ/ROAD/7127/2014** पर दिनांक 07.08.2016 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में वार्षिक कार्यालय लखनऊ द्वारा चाही गई सूचना के अनुसार प्रस्ताव संशोधित कर भिजवाया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी है।

**A – Compliance of EDS dated 14-7-2017 is awaited:**

1. बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण। वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र प्रस्ताव के बिन्दु संख्या के में संलग्न कर दिये गये है। किन्तु मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में भूसंदर्भित मानचित्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसमें सभी कानर्स के जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स नहीं दिये गये है।
3. बिन्दु संख्या 3 की पालना अपूर्ण। क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है जो श्रमिक दर 166/- प्रति मानव दिवस पर आधारित है वर्तमान में श्रमिक दरों (201/- प्रति मानव दिवस) में परिवर्तन हो चुका है एवं राज्य सरकार द्वारा राशि 155000/- प्रति हे० का मॉडल भी अनुमोदित किया जा चुका है अतः क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना इसी अनुलप आनी प्रस्तावित है।

**B – Additional information as required by MOEF:**

1. प्रस्ताव में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। प्रस्ताव में जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षित समेकित भूमि (103.4 हे०) का डिजिटल मानचित्र प्रस्तुत किया गया है एवं जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आरक्षित किये जाने का आदेश संलग्न किया गया है किन्तु इससे यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त प्रस्ताव की भूमि इसमें सम्मिलित है अथवा नहीं, साथ ही उक्त भूमि किस जगह दी गई है।
2. बिन्दु संख्या 3 में एन०पी०वी० की राशि की गणना संलग्न नहीं की गई है।
3. प्रस्ताव की पालना देरी से भिजवाये जाने का कारण एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन पर उप वन संरक्षक की स्पष्ट टिप्पणी।
4. उक्त बिन्दुओं की सूचना हार्ड प्रति में संलग्न नहीं की गई है। जो प्रस्तावित है।

उक्त सूचना ऑनलाईन भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक कोटा को निर्देशित किया जाता है।

  
(P.C. KUMAWAT)  
DCF (FCA)  
JAIPUR